छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 161/2006</u>

श्री पदम कुमार जैन, ... **अपीलार्थी**
बी–501, अशोक रत्न,
न्यू विधानसभा मार्ग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... **प्रतिअपीलार्थी**
छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड,
शंकर नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(25 जुलाई 2006)

श्री पदम कुमार जैन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(3) के अंतर्गत अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 22–03–2006 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिनांक 13–01–2006 के आवेदन पत्र से एक अतिरिक्त मकान आबंटन किये जाने संबंधी जानकारी चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं देने के कारण अपीलार्थी ने दिनांक 24–02–2006 को अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी, आयुक्त गृह निर्माण मंडल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। दिनांक 22–03–2006 को अपीलार्थी ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये। अपील अधिकारी ने दिनांक 22–03–2006 को अपीलार्थी का अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं अपीलीय अधिकारी को सूचना–पत्र जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपना जवाब दिनांक 11–07–2006 को प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने अभिलेखों के निरीक्षण के लिए अनुरोध किया था तत्पश्चात् उसने कतिपय अभिलेखों की छायाप्रति मांगी। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया है कि अपीलार्थी को बैंक एकाउंट का अवलोकन 03–03–2006 को मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार करा दिया गया है। दस्तावेज प्रदान करने के लिए अपीलार्थी को

दिनांक 13–3–2006 को राशि जमा करने के लिए सूचित किया गया, किन्तु उसने नकल के लिए राशि जमा नहीं की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर अपीलार्थी को दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध करा दिये गये। अपीलार्थी का यह तर्क है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश 24–03–2006 को पारित किया गया एवं आदेश में सहायक जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के अपील के संबंध में जवाब दिनांक 25–03–2006 का उल्लेख किया गया। स्पष्ट है कि आदेश पुरानी तिथि में जारी किया गया, जो कि अपीलीय अधिकारी के पद की गरिमा एवं निष्पक्षता को संदेहास्पद बनाता है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने 23–01–2006 को प्रस्तुत आवेदन पत्र में 4 अभिलेखों की जानकारी चाही थी। सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 13–03–2006 को जानकारी दी गई, जिसमें कि आवेदक को कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्टर का अवलोकन करने को कहा गया था। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24–03–2006 के द्वारा बैंक खाते एवं स्टॉप रजिस्टर की प्रति निःशुल्क दिये जाने का आदेश दिया। इस प्रकार आवेदक को उसके द्वारा चाहे गये अभिलेखों की प्रति दिये जाने का आदेश दे दिये गये हैं। अपीलार्थी के द्वारा चाहे गये सभी दस्तावेजों की प्रति निःशुल्क दी जावे। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक के संबंध में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह लिपिकीय त्रुटि है, जिसमें कि आदेश दिनांक 24–03–2006 एवं आदेश में सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब 25–03–2006 का उल्लेख किया गया।

क्योंकि जन सूचना अधिकारी ने अभिलेख समय पर दिये जाने का प्रयास किया है, अतः अर्थदण्ड किये जाने का आधार नहीं है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में आदेश पारित करते समय सचेत रहें। आदेश में इस प्रकार की लिपिकीय त्रुटि होना आपत्तिजनक है।

अपीलार्थी को सूचना विलम्ब से प्राप्त हुई, जिससे कि उसे मानसिक पीड़ा हुई है। अतः आदेश दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आवेदक को 500/– रूपए (पांच सौ रूपए मात्र) की क्षतिपूर्ति प्रदान करे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त